रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 516] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 1982/कार्तिक 19, 1904
No. 516] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 10, 1982/KARTIKA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1982

का० आ० 794(अ).—केन्द्रीय सरकार, काफी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 77) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री के० एस० मल्ले गाउडा, संसद सदस्य, राज्य सभा, सेवानिवृत्त के स्थान पर श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डि, संसद सदस्य, राज्य सभा के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सभा का सदस्य बना रहता है तब तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो उस तक काफी बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन को अधिसूचित करती है।

[फाइल सं० 2/1/81 प्लांट (बी)]
एस० गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1982

S.O. 794(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (77 of the 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby notifies the election of Shri T. Chanderasekara Reddy, M.P., Rajya Sabha, as a member of Coffee Board for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, or so long as he continue to be a membed of the Rajya Sabha which ever is earlier vice Shri K. S. Malle Gowda, M.P. Rajya Sabha, retired.

[File No. 2|1|81-Plant(B)]

S. GOPALAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982